



प्रेषक,

सोमनाथ
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 15 अक्टूबर, 2026

विषय:- जनपद लखनऊ में आउटर रिंग रोड के रैथा अण्डरपास से पी०एम० मित्र पार्क (टेक्सटाइल पार्क) तक 06 लेन में निर्माण (लम्बाई 14.280 किमी०) तथा आई० आई०एम० लखनऊ से आउटर रिंग रोड रैथा अण्डरपास मार्ग (लम्बाई 8.700 किमी०) का दो लेन चौड़ाई में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-24999/सीई-एचक्यू-1/लॉजिस्टिक/एल0के0ओ0/2026-27, दिनांक 05.10.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में औद्योगिक/ लाजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढीकरण/निर्माण कार्य योजनान्तर्गत जनपद लखनऊ में आउटर रिंग रोड के रैथा अण्डरपास से पी०एम० मित्र पार्क (टेक्सटाइल पार्क) तक 06 लेन में निर्माण (लम्बाई 14.280 किमी०) तथा आई० आई०एम० लखनऊ से आउटर रिंग रोड रैथा अण्डरपास मार्ग (लम्बाई 8.700 किमी०) का दो लेन चौड़ाई में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु चालू कार्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक 5054-03-337-10-00-24 मद अन्तर्गत पाँचवीं किश्त के रूप में धनराशि ₹0 5000.00 लाख (रुपये पचास करोड़ मात्र) अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रश्नगत कार्य के मांग प्रस्ताव में अनुरक्षण की धनराशि ₹0 0.000 लाख एवं स्वीकृत लागत में निर्माण कार्य की लागत धनराशि ₹0 0.000 लाख तथा कार्य का नाम जनपद लखनऊ में आउटर रिंग रोड के रैथा अण्डरपास से पी०एम० मित्र पार्क (टेक्सटाइल पार्क) तक चार लेन निर्माण (लम्बाई 14.280 किमी०) तथा आई०आई०एम० लखनऊ से आउटर रिंग रोड रैथा अण्डरपास मार्ग (लम्बाई 8.400 किमी०) का दो लेन चौड़ाई में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य का उल्लेख किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। उक्त 03 त्रुटियों को अगले किश्त के मांग प्रपत्र में संशोधित करके प्रस्तुत किया जाय।
- (2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में निहित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/जापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।
 - (5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (6) प्रश्नगत कार्य हेतु यदि लागत में अनुरक्षण पर व्यय सम्मिलित है तो अनुरक्षण की धनराशि को वर्तमान धनावंटन के क्रम में व्यय नहीं किया जायगा।
 - (7) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय **रु० 5000.00 लाख (रुपये पचास करोड़ मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054033371000 औद्योगिक/लॉजिस्टिक पार्क** हेतु मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण/निर्माण कार्य (चालू कार्य) **मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य** के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 में विभागाध्यक्ष को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 4- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
- 5- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (मु०-1/2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 8- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 9- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 10- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
- 12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ०प्र० शासन।
- 13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजना/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ०प्र० शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।